कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा

पता–किशोरपुरा कोटा–09 (राज0), ईमेल:–ccffdp.kota@gmail.com दूरभाष:– 0744–2500194

क्रमांक:एफ13(वन संरक्षण)/समुवसं/2020/983 दिनांक : 24-2-21

निमित्त,

अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए
राजस्थान जयपुर।

विषय : Diversion of 18.567 ha. forest land in favour of Executive Engineer WR Project Division Bundi for Construction of canal (LMC & RMC) for Gararda Medium Irrigation Project distt. (Proposal No. FP/RJ/WATER/34407/2018)

संदर्भ : आपका ऑनलाईन ई0डी0एस0 दिनांक 15.02.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई0डी0एस0 से चाही गयी सूचना की पालना रिपोर्ट उप वन संरक्षक बून्दी ने पत्रांक 1149 दिनांक 19.02.2021 से कार्यालय में प्रस्तुत की है, जो कि निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	EDS	जवाब
1	Please give the detail of NFL land with documents. How much land was reserved for CA by distt. Collector. How much land was adjusted in the chunk of NFL land before this proposal-give the detail of the proposal also. How much land is still remaining after this proposal.	उप वन संरक्षक बून्दी ने पत्रांक 1149 दिनांक 19.02.2021 से अवगत कराया है कि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्राप्त गैर वनभूमि ग्राम कोटाखुर्द तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में 108.61 हैक्टर भूमि आवंटित की गई थी। जिसमें से कार्यालय जिला कलेक्टर बून्दी के आदेश क्रमांक 4297–4306 दिनांक 02.06.2016 से विषयांकित प्रकरण में 18.567 हैक्टर भूमि के समायोजन के आदेश प्रसारित किये गये है। समायोजित वनभूमि कोटाखुर्द बी वनखण्ड के नाम से नोटिफाइड है एवं उप वन संरक्षक राष्ट्रीय चम्बल घड़ियाल अभ्यारण्य सवाईमाधोपुर के क्षेत्राधीन है। वर्तमान में जिला कलेक्टर बून्दी द्वारा ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या . FP/RJ/ROAD/29812/2017(लक्ष्मीपुरा–डोरा–डाबी–रानीजी का गुढ़ा एनएच–12)में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्राप्त की जानी वाली भूमि के बदले प्राप्त गैर वनभूमि 32.3264 हैक्टर भूमि के समायोजन की कार्यवाही प्रगतिरत है। अतः ग्राम कोटाखुर्द तहसील इन्द्रगढ़ एवं जिला बून्दी में प्राप्त 108.61 हैक्टर भूमि (वनखण्ड कोटाखुर्द बी0) में से 57. 7166 हैक्टर भूमि शेष है।

अतः प्राप्त रिपोर्ट अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय

(मनोज पाराशर)
संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
कोटा 22.2.2021

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

क्रमांक:एफ13(वन संरक्षण)/समुवसं/2020/984 दिनांक : 24-2-2021

प्रतिलिपि उप वन संरक्षक, बून्दी को उनके पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा 22.2.2021

E:\FCA\FCA\FCA letter, 2019.docx 388

कार्यालय उप वन संरक्षक, बून्दी

Add. - Nainwa Road, Behind Head Post Office, Bundi - 323001
E-Mail:– dcf.bundi.forest@rajasthan.gov.in, Tel. No. 0747-2456823, Fax No. 0747-2457462

क्रमांक एफ2( )वन संरक्षण/उवसं/2020/ 1149 दिनांक : 19.2.

निमित्तः- संभागीय मुख्य वन सरंक्षक
कोटा।

विषयः- Diversion of 18-.567 ha. forest land in favour of Excutive Engineer WR Project Division Bundi for Construction of canal (LMC & RMC) for Gararda Medium Irrigation project distt. Bundi. (FP/RJ/IRRIG/30576/2017)

प्रसंगः– अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक, नोडल अधिकारी एसीए राज० जयपुर की ऑनलाईन क्यूरी दिनांक 16.02.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन हैं कि प्रासंगिक पत्र से विषयांकित प्रकरण में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्राप्त की जानी वाली भूमि के कम में टीप्पणी निम्न प्रकार हैं:–

क्र.सं.	आक्षेप	पालना
1	Please Give the detail of NFL land with Documentss. How much land was reserved for CA by distt. Collector. How much land was adjusted in the chunk of NFL land before this proposal-give the detail of the proposal also. How much land is stil remaining after this proposal.	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्राप्त की जानी वाली भूमि पूर्व में चाकण परियोजना के बदले प्राप्त गैर वन भूमि ग्राम कोटाखुर्द तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी में 108.61 हैक्टर भूमि आवंटित की गई थी। जिसमें से कार्यालय जिला कलक्टर बून्दी के आदेश कमांक 4297–4306 दिनांक 02.06.2016 से विषयांकित प्रकरण में 18.567 हैक्टर भूमि के समायोजन के आदेश प्रसारित किये गये हैं। समायोजित वन भूमि कोटाखुर्द बी वनखण्ड के नाम से नोटिफाइड हैं एवं उप वन संरक्षक राष्ट्रीय चम्बल घडियाल अभ्यारण्य सवाईमाधोपुर के क्षेत्राधीन हैं। वर्तमान में जिला कलक्टर बून्दी द्वारा ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/29812/2017 (लक्ष्मीपुरा–डोरा–डाबी–रानीजी का गुढा एनएच–12) में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्राप्त की जानी वाली भूमि के बदले प्राप्त गैर वन भूमि 32.3264 हैक्टर भूमि के समायोजन की कार्यवाही प्रगतिरत् है। अतः ग्राम कोटाखुर्द तहसील इन्द्रगढ एवं जिला बून्दी में प्राप्त 108.61 हैक्टर भूमि (वनखण्ड कोटाखुर्द बी0) में से 57.7166 हैक्टर भूमि शेष है।

संलग्न :– वनखण्ड कोटाखुर्द की विज्ञप्ति एवं
जिला कलक्टर का प्रासंगिक आदेश की प्रति

भवदीय

(सोनल जौरिहार)
उप वन संरक्षक
बून्दी

कमांक एफ2( )वन संरक्षण/उवसं/2020 1150 दिनांक : 19.2.2021

1. प्रतिलिपि अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एफसीए राज0 जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

(सोनल जौरिहार)
उप वन संरक्षक
बून्दी

Order 2016

(42)

कार्यालय जिला कलक्टर बून्दी

संख्या :- 64 दिनांक 2.06.2016

-:: आदेश ::-

अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन परियोजना खण्ड, बून्दी के पत्र कमांक अ.अ./जं.सं./परि./तक./2016/817 दिनांक 18.02.2016 से गरडदा सिंचाई परियोजना की दायी एव बायीं मुख्य नहर के निर्माण में आयी वन भूमि के बदले राजस्व भूमि समायोजित किये जाने हेतु निवेदन किया है तथा पत्र कमांक 1691 दिनांक 18.04.16 से संलग्न प्राप्त सूची अनुसार इस परियोजना में आयी वन भूमि ग्राम अनुपपुरा के खसरा संख्या कुल किता 18 रकबा 5.461 है, ग्राम बांकी के खसरा संख्या कुल किता 10 रकबा 4.599 हैक्टर, ग्राम मंडावरी के खसरा संख्या कुल किता 4 रकबा 2.350, ग्राम श्रवण की झौपंडिया के खसरा संख्या कुल किता 3 रकबा 1.534 हैक्टर, ग्राम होलासपुरा के खसरा संख्या कुल किता 5 रकबा 1.568 हैक्टर, ग्राम भेरूपुरा के खसरा संख्या कुल किता 6 रकबा 2.486 हैक्टर, ग्राम लोईचा के खसरा संख्या कुल किता 3 रकबा 0.575 कुल 7 ग्रामों के कुल 48 खसरा संख्या की 18.573 हैक्टी (विस्तृत सूची संलग्न) है।

शासन उप सचिव, राजस्व (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान जयपुर की स्वीकृति पत्रांक प. 6(315)राज/ग्रुप-3/97 दिनांक 07.06.99 के अनुसरण में चाकन सिंचाई परियोजना के बदले में वन विभाग को कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 8-5(10)राजस्व/94/1927-35 दिनांक 15.6.99 से आवंटित ग्राम कोटा खुर्द तहसील इन्द्रगढ की 289.53 हैक्टर भूमि में से उप वन संरक्षक, बून्दी के पत्र कमांक ( )वन संरक्षण/उवस/2016-17/7048 दिनांक 18.05.2016 से प्राप्त अनापत्ति के आधार पर समायोजन किये जाने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

जिला कलक्टर,बून्दी

क्रमांक : प.8-5(37) राजस्व/06/4297-4306 दिनांक 2.06.2016

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन उप सचिव, राजस्व (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान जयपुर
2. उप वन संरक्षक, बून्दी
3. उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी, बून्दी, तालेडा
4. अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन परियोजना खण्ड, बून्दी
5. तहसीलदार बून्दी/इन्द्रगढ/तालेडा
6. आदेश पत्रावली।

जिला कलक्टर,बून्दी

अतः अब राजस्थान फोरेस्ट एक्ट, 1953 (1953 का एक्ट संख्या 13) की धारा 29 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए सरकार इसके द्वारा फोरेस्ट सेटलमेन्ट ऑफिसर/असिस्टेन्ट फोरेस्ट सेटलमेन्ट ऑफि[illegible] को पूर्वोक्त वन-भूमि अथवा बंजर भूमि में या उन पर सरकारी तथा वैयक्तिक अधिकारों की जांच करके उन्हें लेखबद्ध हेतु नियुक्त करती है तथा ऐसी जांच तथा अभिलेखन, यथासाधन उसी प्रणाली में किया जायेगा जैसा कि उक्त एक्ट धारा 6,7,8, 10,11 (1)12,13,14,17,18 तथा 19 में प्रावहित है;

और उक्त एक्ट की धारा 29 की उप-धारा (3) के परन्तुक (Proviso) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग कर [illegible] में राजस्थान सरकार उक्त जांच अथवा अभिलेखन सम्पादित होने तक, उक्त वन-भूमि और बंजर-भूमि को इस [illegible] द्वारा संरक्षित वन (Protected Forest) घोषित करती है, परन्तु इससे किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष के वर्तमान अधि[illegible] किसी भी प्रकार की कमी नहीं आयेगी और न उन पर कोई प्रभाव पड़ेगा;

और सरकार उक्त एक्ट की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन एवं अनुसरण में यह भी घोषणा कि उक्त संरक्षित वन के वे वृक्ष जो इसके साथ संलग्न द्वितीय अनुसूची में अंकित किये गये हैं राज-पत्र में इस विज्ञ प्रकाशन की तारीख से आरक्षित (Reserved) है और पूर्वोक्त तारीख से उक्त वन से, पत्थरों को खुदाया जाना चूना या कोयला जलाया जाना अथवा किसी प्रकार की वन उपज का संग्रहित किया जाना अथवा उसे किसी निर्माण का साधन बनाया जाना या हटाया जाना और उक्त वन में किसी भूमि का कृषि अथवा भवन निर्माण अथवा पशुपालन किसी भी अन्य प्रयोजन के लिये जोता किया जाना अथवा साफ किया जाना निषिद्ध करती है।

प्रथम अनुसूची (वन भूमि और बन्जर भूमि)

द्वितीय अनुसूची (संरक्षित वृक्ष)

प्रथम अनुसूची

संख्या	नाम ब्लॉक	नाम तहसील	नाम जिला	सीमा	वि[illegible]
1	2	3	4	5	
1.	कोटाखुर्द B	(के. पाटन) इन्द्रगढ़	बुन्दी	पूर्व–सरहद ग्राम गोवाटा पश्चिम–राजस्व भूमि कोटा खुर्द उत्तर–राजस्व भूमि कोटा खुर्द दक्षिण–राजस्व भूमि कोटा खुर्द	

प्रथम-अनुसूची

वनखण्ड :-कोटा खुर्द B

जिला	तहसील	रेन्ज	ग्राम	खसरा नं.	क्षेत्र है.	वि[illegible]
बुन्दी	के.पाटन	इन्द्रगढ़	कोटा खुर्द	812	6.66	
				829	4.93	
				837	4.63	
				841	7.40	
				842	15.72	
				843	15.77	
				852	3.82	
				858	4.31	
				859	11.07	
				860	10.59	
				861	1.92	
				862	5.45	
				876	9.23	
				1346	7.31	
				14.0	108.61	
					108.61 हेक्टर	
					1.0861 वर्ग कि[illegible]	

मिलान किया

पढ़ा

सुना

हमारा प्रति प्रमाणित

वन बन्दोबस्त अधिकारी
कोटा

हमारा प्रति प्रमाणित

वन बन्दोबस्त अधिकारी
कोटा